



**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून।**
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सीलिंग कार्यवाही हेतु)

पत्रांक:- 8455 वाद संख्या आर-307/एस-1/2020

दिनांक 16/10/2023

श्रीमती चारु बिष्ट पत्नी श्री राजीव बिष्ट,
ब्लाक सी लेन नम्बर 4 सरस्वती विहार, अजबपुरखर्द,
देहरादून।

आपके द्वारा उक्त स्थल पर स्वीकृत मानचित्र संख्या 335/19-20 के विपरीत मल्टीपल यूनिटों का अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने पर उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दिनांक 1.7.2020 को धारा 27 (1) तथा धारा 28 (1) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर वाद संख्या आर-307/एस-1/2020 योजित है। जिसमें सुनवाई के उपरान्त दिनांक 30.07.2022 को सील आदेश पारित हुए। जिसके विरुद्ध आपके द्वारा मा० न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष, न्यायालय में अपील संख्या 45/21-22 सन्दीप सिंह बिष्ट के नाम योजित हुई। जिसमें मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 17.05.2022 के अनुपालन में सील की कार्यवाही नहीं हुई एवं मूल वाद पत्रावली मा० न्यायालय को प्रेषित की गयी। मा० न्यायालय द्वारा उक्त अपील में अपने आदेश दिनांक 03.08.2023 द्वारा "चूंकि अपीलार्थी के मानचित्र को प्राधिकरण द्वारा प्रशमनित कर दिया गया है तथा प्रशमनित मानचित्र की प्रति प्रार्थना के साथ संलग्न की गयी है, जिसके कारण वर्तमान अपील कार्यवाही समाप्त की जाती है"। आदेश की प्रति के साथ मूल वाद पत्रावली इस कार्यालय को प्रेषित की गयी। इसी के साथ आपसे अपेक्षा की गयी थी कि जो मानचित्र आपके द्वारा प्रशमनित कराया गया है तो उसकी प्रति वाद पत्रावली के रिकार्ड हेतु उपलब्ध कराये। जिसके लिए कार्यालय पत्र दिनांक 24.08.2023 12.09.2023 एवं 26.09.2023 के पत्र द्वारा दिनांक 04.09.2023, 18.09.2023 एवं 09.10.2023 की तिथियों द्वारा आपको अवसर दिया गया। परन्तु आप न ही कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही कोई ठोस अभिलेख प्रस्तुत किये गये। दिनांक 09.10.2023 को प्रश्नगत वाद के सम्बन्ध में स्थलीय रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जिसमें सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक 11.10.2023 अनुसार आपके द्वारा जो मानचित्र स्वीकृत कराया गया है वह एकल आवासीय योजना में स्वीकृत कराया गया है एवं स्थल पर चतुर्थ तल का अतिरिक्त निर्माण किया गया है। स्थल पर प्लैटों का निर्माण किया गया है।

आदेश

श्रीमती चारु बिष्ट पत्नी श्री राजीव बिष्ट एवं अपीलार्थी श्री सन्दीप सिंह बिष्ट द्वारा स्थल पर स्वीकृत मानचित्र संख्या 335/19-20 के विपरीत मल्टीपल यूनिटों का अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने पर उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दिनांक 1.7.2020 को धारा 27 (1) तथा धारा 28 (1) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर वाद संख्या आर-307/एस-1/2020 योजित है। विपक्षी का मानचित्र एक आवासीय योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। विपक्षी द्वारा स्वीकृत मानचित्र का उलघन करते हुए स्थल पर प्लैटों का निर्माण एवं चतुर्थ तल पर एक अतिरिक्त तल का निर्माण किया गया है। विपक्षी को अपने निर्माण को रेगुलार्ज करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। परन्तु विपक्षी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के उलघन करने एवं चतुर्थ तल पर अतिरिक्त किये गये निर्माण के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। और न ही नियत तिथि में उपस्थित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें प्राधिकरण के आदेश से कोई सरोकार नहीं है और बिना कोई कार्यवाही किये एवं गुमराह किये वाद को लम्बित रखना चाहते हैं।

अतः मा0 न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष, न्यायालय के आदेश एवं प्राधिकरण द्वारा रेगुलाईज करने के लिए दिये गये अवसर का लाभ न लेने पर पूर्व पारित सील आदेश पत्रांक 1016 दिनांक 30.07.2020 के अनुसार स्वीकृत मानचित्र का उलघन करने पर सील की कार्यवाही के आदेश के अनुसार दिनांक 16/10/23 को प्रश्नगत चालानशुद्धा निर्माण को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

(रजा अब्बास)

संयुक्त सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि- 1-जिलाधिकारी महोदय देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त तिथि को उक्त कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने कृपा करें।

2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

करें।

3- सम्बन्धित थानाध्यक्ष, नेहरू कलोनी देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

5-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को दो वाहन एवं सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



वा.व.सा.स.स.
16/10/23

